>

Title: Need to make strong labour laws in the country.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही मार्मिक, मजदूर से जुड़ा हुआ मामला उठाना चाहती हूं। कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया और मेरे ख्याल से यह हमारे लिए, सदन के लिए, सदन की गरिमा के लिए बहुत ही दुखद बात है कि यह सदन लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत है। 6 महीने पहले एक घटना घटती है, जिसका बारे में कल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया कि यह कैसा देश है, जहां मजदूरों के हाथ काट दिये जाते हैं। मेरे ख्याल से यह हमारे सदन के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के लिए शर्म की बात है कि 6 महीने पहले वर्ष 2013 में दिसम्बर को ओडिशा, आध्र प्रदेश में यह घटना घटती है। ओडिशा के कालाहांडी में, जहां पर दो प्रवासी मजदूर दियालु और नीलांबर मांझी को कुछ उधार की वजह से ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा उनका उधार नहीं चुकाने के क्रम में उनसे हाथ या पैर काट देने की बात कही जाती है। वे उनसे दुहाई देते हैं कि 10 साल तक हम लगातार बंधुआ मजदूर बनकर आपके लिए काम करेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप हमारे हाथ या पैर न काटें। क्योंकि हम गरीब और मज़दूरों के पास सिवाय हाथ और पैर के कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ दयालु और नीलांबर माझी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बिहार से खासकर ऐसे बहुत सारे मज़दूर जाते हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, उड़ीसा में और असम में, दूर-दूर जाकर अपनी गरीबी को कम करने के लिए दो रुपये कमाकर अपने घर पहुँचाने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से जो यह घटना घटी, उन्होंने आग्रह किया और वे बार-बार रिपीट करते रहे कि हम दस साल तक आपका काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पैर कटवाएँगे या हाथ, तो उनको कहना पड़ा कि पैर से हम चलते हैं, इसलिए हमारे हाथ काट दीजिए। बहुत शर्म आती है यह कहने में कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सिक मानसिकता के लोग रहते हैं। उन्होंने उनके हाथ काट दिये और उनके खून से तिलक करके वे गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह के देश में रहते हैं। ऐसी घटना किसी आदिम देश में भी नहीं होती थी। मज़दूरों को जानवरों की तरह बसों में ठूँसा जाता है। उन पर अत्याचार किये जाते हैं। मेनका जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि *पैट एनिमल्स* और जानवरों से उनको बहुत प्यार है, वे उनके लिए लड़ती हैं। मैं कहूँगी कि मेरे ख्याल से जानवरों से भी बदतर व्यवहार यह है क्योंकि जानवर जब भूखा होता है तब अटैक करता है। हमारी सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता कहाँ तक जा रही है जो आज हम इस कंडीशन में पहुँच गए हैं कि आज हाथ और पैर मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से कल खाने के लिए उनका गोश्त मांगेंगे। मैं कहूँगी कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसको गंभीर चिन्तन का मामला मानते हुए इस सदन द्वारा ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि ऐसी सिक मानसिकता के लोगों को आगे से इस तरह का काम करने की हिम्मत नहीं पड़े।